भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
निष्ठा भवन, 48 न्यु मरीन लाईन्स
मुबई – 400 020.

सं.5/45(टी.पी.)/2013/स्था-I/26 दिनांक :- 02 जुलाई, 2013

परिपत्र

विषय : वस्त्र मंत्रालय,वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,मुंबई के संगठन में अधिकारियों / कर्मचारियों के संबध में स्थानांतरण नीति।

दिनांक 02/07/2013 के कार्यालय ज्ञापन की प्रति संलग्न है, जिसके द्वारा वस्त्र आयुक्त कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई के संगठन के अधिकारियों /कर्मचारियों के सबंध में स्थानांतरण नीति अधिसूचित की गई है, जिसे माननीय वस्त्र मंत्री ने अनुमोदित किया है,जैसा कि वस्त्र मंत्रालय ने उनके दि. 25/06/2013 के पत्र सं. A-46013/1/2012-Estt. द्वारा अवगत कराया है।

स्थानांतरण नीति को मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा विद्युत करघा सेवा केन्द्रों के अधिकारियों/कर्मचारियों में परिचालित करें।

भवदीय,

(एस. बालाराजू)
संयुक्त वस्त्र आयुक्त

संलग्न :- यथोपरि ।

सेवा में

1. मुख्यालय के सभी अनुभाग
2. वस्त्र आयुक्त के सभी क्षेत्रीय कार्यालय एवं वि.क.से.केन्द्र

प्रतिलिपि:-

1. श्री ईश्वर शरन, अवर सचिव, वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली – 110 107
2. वस्त्र आयुक्त/ संयुक्त वस्त्र आयुक्त के निजी सहायक

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
निष्ठा भवन, 48 न्यु मरीन लाईन्स
मुबई – 400 020.

सं.5/45(टी.पी.)/2013/स्था-I/26 दिनांक :- 02 जुलाई,2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : वस्त्र मंत्रालय,वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,मुंबई के संगठन में अधिकारियों / कर्मचारियों के संबध में स्थानांतरण नीति।

वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के संगठन के अधिकारियों /कर्मचारियों के संबध में स्थानांतरण नीति निम्नानुसार होगी :-

1. निदेशक एवं उप-निदेशक के स्तर के अधिकारियों का कार्यकाल एक विशिष्ट स्टेशन (स्थान) पर 4(चार) वर्ष का होगा।

2. सहायक निदेशक एवं तकनीकी अधिकारी के स्तर के अधिकारियों का कार्यकाल एक विशिष्ट स्टेशन (स्थान) पर 5(पाँच) वर्ष का होगा।

3. उपरोक्त श्रेणियों के अलावा समूह 'ग' एवं समूह 'ख' के कर्मचारियों को सामान्यतः अनुभागों / एक ही स्थान (Same station) के कार्यालयों में बारी-बारी से बदला जाएगा, अर्थात, विशिष्ट कार्यालय/अनुभाग/शाखा/सेल में 5 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात उनको आबंटित किए गए कार्य को बदला जाएगा तथा उक्त को स्थानातंरण नहीं माना जाएगा। यद्यपि, अनिवार्यता एवं परिणामी रिक्तियों के आधारपर, 10 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात उनके स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा।

4. संवेदनशील जगहों पर कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेशानुसार प्रत्येक 3 वर्षो में बदला जाएगा।

5. पदोन्नति पर अधिकारी को उसी जगह रखा जाएगा जहाँ वह वर्तमान में तैनात है, बशर्ते कि वहां पर रिक्त हो तथा उसने वर्तमान विद्यमान पद पर निर्धारित रहने की अवधि पूर्ण नही की हो।

6. यदि अधिकारियों को एक ही कार्यालय (Same Office) के अनुभागों में, यथा, विशिष्ट अनुभाग / शाखा/सेल में बारी - बारी से बदला जाता है तो उन्हें आबंटित किए गए कार्य के बदलाव को स्थानांतरण नहीं माना जाएगा।

7. नए स्टेशन (स्थान) में कार्यग्रहण करने के 2 वर्ष के पश्चात ही स्थानांतरण हेतु किए गए अनुरोध पर विचार किया जाएगा। 15 (पंद्रह) दिनों से अधिक छुट्टी की अवधि को उक्त सेवा अवधि की गणना करते समय नही गिना जाएगा।

8. जिस अधिकारी / कर्मचारी की सेवानिवृत्ती हेतु 2 वर्ष की सेवा शेष हो ,वे स्थानांतरण नीति के अंतर्गत नहीं आएंगे , जब तक वे स्वयं स्थानांतरण हेतु अनुरोध नहीं करते हैं।

9. वि.क.से. केन्द्रों के अलावा किसी अन्य कार्यालय से स्थानांतरण , वर्ष में प्रत्येक कार्यालय में उपरोक्त क्र. सं. 1 एवं 2 की काडर क्षमता के 25% तक सीमित होगा, अन्यथा कुछ महत्वपूर्ण अनुभागों/ संगठन के कार्यालय के सुचारू कामकाज की निरंतरता एवं यात्रा व्यय के बजट को प्रभावित करेगा।

10. विशिष्ट स्टेशन (स्थान) पर लंबी अवधि से तैनात व्यक्तियों के स्थानांतरण पर पहले विचार किया जाएगा तथा अन्यों का अवरोही क्रम में (in descending order) विचार किया जाएगा।

11. 'कार्यकाल' अनुमेय रहने की अधिकतम अवधि दर्शाता है। अपवादात्मक मामलों में उपरोक्त निर्धारित कार्यकाल से अधिक /पहले किसी अधिकारी को जन – हित में रखे रहने / स्थानांतरण को यदि वांछित समझा जाए तो ऐसे रखे रहने / स्थानांतरण को लिखित रूप में कारण देते हुए वस्त्र आयुक्त के अनुमोदन के साथ विचार किया जाएगा।

12. निदेशकों / उप-निदेशकों, सहायक निदेशकों एवं तकनीकी अधिकारियों के स्थानांतरण को अनुमोदन देने हेतु वस्त्र आयुक्त सक्षम प्राधिकारी है तथा समूह 'ख' एवं 'ग' के अन्य अधिकारियों /कर्मचारियों हेतु प्रशासन अनुभाग के प्रभारी संयुक्त वस्त्र आयुक्त सक्षम प्राधिकारी है।

13. विशिष्ट स्टेशन (स्थान) में मिश्रित निरंतर सेवा (combined continuous service) निर्धारित करने हेतु अंतिम तिथि प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च होगी।

14. स्थानांतरण के मामले में यदि कोई शिकायत हो तो उसे संगठन में गठित की गई शिकायत समिति के समक्ष रखा जाए ।

इसे सक्षम प्रधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

(एस. बालाराजू)
संयुक्त वस्त्र आयुक्त

सेवा में,

1. मुख्यालय के सभी अनुभाग ।
2. वस्त्र आयुक्त के सभी क्षेत्रीय कार्यालय एवं वि.क.से.केन्द्र ।

प्रतिलिपि :-

1. श्री ईश्वर शरन, अवर सचिव, वस्त्र मंत्रालय,
   उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110 107 ।
2. वस्त्र आयुक्त / संयुक्त वस्त्र आयुक्त के निजी सहायक

(एस. बालाराजू)
संयुक्त वस्त्र आयुक्त